

निविदा प्रपत्र

प्रेषिति -

आबकारी आयुक्त,
राजस्थान, उदयपुर

विषय :- भांग के खुदरा एवं थोक विक्रय अनुज्ञापत्र (Licence) वर्ष 2019-2020 के लिये निविदा ।

1. आबकारी विभाग द्वारा भांग के खुदरा एवं थोक विक्रय अनुज्ञापत्र वर्ष 2019-2020 हेतु जारी निविदा सूचना क्रमांक प.23(1)आब/लेखा/भाग/2019/169 दिनांक 02.02.2019 के क्रम में भांग पत्ति/भाग घाटा (माजुम, बुकनी, गुलकन्द आदि सहित) के खुदरा विक्रय के लिये अनुज्ञापत्र (दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2020 तक) हेतु निविदा निम्नानुसार प्रस्तुत है :-
2. भांग समूह का नाम (जिसके लिये निविदा दी जा रही है) _____ |
3. प्रस्तावित राशि (अंको में) |
(शब्दों में) |
4. निविदा शुल्क राशि रूपये 1000/- जमा का विवरण -
5. भांग के थोक विक्रय अनुज्ञापत्र लेने हेतु यदि इच्छुक है तो हॉ अंकित करें ? ()
6. जमा करवाई गई निविदा शुल्क एवं अमानत राशि (अनेस्टमनी) का विवरण -

ई-ग्रास चालान/ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक संख्या	दिनांक	बैंक का नाम एवं शाखा	राशि ₹ में

(नोट - ई-ग्रास चालान/ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक की संख्या अधिक होने पर अलग से सूची संलग्न करें।)

7. निविदादाता के नाम, पता आदि का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	निविदादाताओं के नाम	पिता/पति का नाम	उम्र	पूरा पता, मकान नं., मोहल्ला, गांव तहसील जिला एवं राज्य	मोबाईल नम्बर	निविदादाताओं के हस्ताक्षर	निविदा किस हेतियत प्रस्तुत की जा रही है।

(निविदादाता के पैन कार्ड एवं निवास स्थान के प्रमाण स्वरूप - आधारकार्ड/मतदाता परिचय पत्र/ड्राइविंग लाईसेन्स/पासपोर्ट की स्पष्ट पढ़ने योग्य स्वः प्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक है। साझेदारी फर्म की और से निविदा प्रस्तुत करने की स्थिति में साझेदारी डीड की स्वःप्रमाणित प्रति, कम्पनी की और से निविदा प्रस्तुत करने की स्थिति में मेमोरेण्डम ऑफ एसोसियेशन की प्रति)

- राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 तथा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 में वर्णित नियमों एवं इन नियमों के अन्तर्गत भाग खुदरा एवं थोक विक्रय के लिये अनुज्ञापत्र (Licence) के संबंध में विस्तृत निर्देश एवं शर्तों तथा जारी किये जाने वाले अनुज्ञापत्र की शर्तों, जो इस निविदा के अभिन्न अंग है, को पढ़ ली है, समझ ली है एवं इनकी पालना करने के लिये मैं/हम पूर्ण रूप से सहमत हूँ/है।
- मेरे/हमारे द्वारा निविदा में जो भी विवरण प्रस्तुत किया है वह पूर्ण रूप से सही है तथा इसके लिये मैं/हम पूर्ण रूप से जिम्मेदार हूँ/है।

स्थान -
दिनांक -

(निविदादाताओं के हस्ताक्षर)

वर्ष 2019-20 के भांग खुदरा समूहों के आरक्षित राशि का विवरण						परिशिष्ट-अ
क्र. सं.	राजस्व जिला	भाग खुदरा समूह का नाम	समूह में दुकानों की संख्या	वर्ष 2019-20 हेतु आरक्षित राशि (लाख रु. में)	10 प्रतिशत अमानत राशि (लाख रु. में)	
1	जैसलमेर	जैसलमेर	4	45.95	4.60	
2	नागौर	नागौर	18	12.82	1.28	
3	सिरोही	सिरोही	12	33.96	3.40	
4	जालौर	जालौर	6	17.26	1.73	
5	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़	46	106.92	10.70	
6	झालावाड़	झालावाड़	30	51.79	5.18	
7	उदयपुर	उदयपुर शहर - सायरा-गोगून्दा-झाड़ौल-मावली	38	231.26	23.13	
8	राजसमंद	राजसमंद	32	301.65	30.17	
9	करौली	करौली	14	72.42	7.25	
10	अलवर	अलवर	27	71.80	7.18	
11	बीकानेर	बीकानेर	17	217.35	21.74	
12	भरतपुर-धौलपुर	भरतपुर- धौलपुर	28	137.56	13.76	
13	बाड़मेर	बाड़मेर	8	8.66	0.87	
14	बूंदी	बूंदी	55	349.65	34.97	
15	बांरा	बांरा	36	201.83	20.19	
16	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	29	218.17	21.82	
17	चुरू	चुरू	6	11.79	1.18	
18	दौसा	दौसा	15	56.41	5.65	
19	पाली	पाली	30	31.31	3.14	
20	बांसवाड़ा-डूंगरपुर	बांसवाड़ा-डूंगरपुर	48	81.38	8.14	
21	जोधपुर	जोधपुर	45	131.25	13.13	
22	सीकर	सीकर	18	30.35	3.04	
23	सवाईमाधोपुर	सवाईमाधोपुर	15	54.32	5.44	
24	कोटा	कोटा प्रथम	30	273.59	27.36	
25	कोटा	कोटा द्वितीय	25	193.00	19.30	
26	जयपुर	जयपुर	65	405.31	40.54	
27	अजमेर	अजमेर	32	132.30	13.23	
28	टोंक	टोंक	35	63.12	6.32	
29	झुंझनू	झुंझनू	15	14.60	1.46	
30	गंगानगर-हनुमानगढ़	गंगानगर - हनुमानगढ़	8	2.64	0.27	